राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

Corporate Identity Number (CIN): U40109RJ2000SGC016485

पंजीकृत कार्यालयः विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर 302 005

टेलीफेक्स :+91-141-2740455, www. rvpn.co.in

क्रमांक रा.वि.प्र.नि. / भर्ती / प.अनुकंपा / प्रे. 334 जयपुर, दिनांक : 28/09/2020

परिपत्र

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ में नियमों तथा निगम द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में स्पष्ट प्रावधान होने के उपरान्त भी प्रायः यह देखने में आया है कि निगम कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त उसके आश्रितों को स्वीकार्य / देय लाभ समय पर नहीं मिल पाता एवं मृतक के आश्रितों को स्वीकार्य / देय लाभ प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिए जाने हेतु राजस्थान मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996, सहपठित RVPN Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Nigam Servants Regulations 2016 (F&R No. 1012), अंगीकृत किए हुए हैं परन्तु प्रायः आवेदकों तथा विभिन्न कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रावधानों की पालना किये बिना नियुक्ति प्रकरण प्रेषित किए जाते हैं, जिससे ऐसे प्रकरणों के आवेदन पत्र की कमियों की पूर्ति करवाने व निस्तारण कर चयन समिति के सम्मुख प्रकरण रखने में अवांछनीय विलम्ब होता है। अनुकम्पात्मक नियुक्ति की मूल भावना मृतक कर्मचारी के योग्य आश्रित को शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति प्रदान किया जाना है, परन्तु अनेकानेक प्रकरणों में नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र की सही तरीके से जाँच नहीं करना, निर्धारित 90 दिवस की समयावधि के पश्चात् प्रकरण को प्राप्त कर मुख्यालय को प्रेषित करना अथवा स्वयं के पास लम्बित रख लेना इत्यादि के कारण न केवल अनुकम्पात्मक नियुक्ति की मूल भावना दूषित होती है, बल्कि निगम को भी अकारण मुकदमेबाजी व अन्य विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

अतः मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को स्वीकार्य / देय लाभ एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रकरणों का उपरोक्त नियमों के प्रावधानानुसार बिना विलम्ब के निस्तारण के उद्देश्य से निम्न दिशानिर्देश प्रसारित किए जाते हैं –

1) प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी, कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् तीन दिवस की अवधि में आश्रित परिवार को लिखित (निर्धारित प्रारूप संलग्न–Annexure-'A') में शोक संवेदना के साथ निम्नलिखित स्वीकार्य / देय लाभ के बारे में सूचित करेगा जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगा।

2) मृतक कर्मचारी के परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता के लिए रूपये 10,000 / – (रूपये दस हजार मात्र) अनुग्रह राशि के रूप में निगम आदेश

RVPN/ AS /GAD/F&R/F. 1 (Pt.-II)/D.671 Dated 3-6-2009 FR No. 585) के क्रम में प्रदान किये जावेंगे।

3) निगम कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार के किसी एक आश्रित को निर्धारित शर्तों/दशाओं के अध्याधीन अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत किसी एक आश्रित को नियुक्ति हेतु आवेदन करने का सन्देश प्रेषित करें, जिसमें निर्धारित समयावधि 90 दिवस का स्पष्ट उल्लेख अवश्य हो। उपरोक्त पत्र की छायाप्रति प्रकरण के साथ अवश्य संलग्न करें। उक्त नियमों के अन्तर्गत कर्मचारी की विधवा अथवा विधुर, अविवाहित पुत्री, पुत्र एवं दत्तक पुत्र/दत्तक अविवाहित पुत्री (वैध गोदनामा सहित) ही आश्रित की श्रेणी में आते हैं अतः इनके अतिरिक्त किसी अन्य का आवेदन स्वीकार नहीं करें। 90 दिवस पश्चात् अधिमानता आधार पर नियुक्ति प्रकरण को यदि स्वीकार कर प्रेषित किया जाता है तो नियंत्रक अधिकारी स्पष्ट रूप से देरी का न्याययुक्त कारण उल्लेखित करते हुए प्रकरण को अग्रेषित करें, अन्यथा नियंत्रक अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र होगा। प्रत्येक आवेदन पत्र पर प्राप्ति संख्या एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। यदि मृतक कर्मचारी की पत्नी स्वेच्छा से नियोजन नहीं चाहे एवं उसके पुत्र/अविवाहित पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम हो तो उसे आदेश संख्या 540 दिनांक 23.05.2002 के अनुसार 500/– प्रतिमाह भृतिलाभ देने का प्रावधान है, जिसकी स्वीकृति शुरू के प्रथम वर्ष के लिये सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं तदुपरान्त इस कार्यालय द्वारा जारी की जाती है इसकी जानकारी मृतक कर्मचारी के आश्रितों को तुरन्त दी जाये एवं भृतिलाभ नियमानुसार स्वीकृत किया जाये।निगम के आदेश संख्या RVPN/AS/GAD/F&R/F.10/D.444 दिनांक 21.04.2006 (F&R No.-313) के अनुसार ऐसे मामलों में जिसमें मृतक कर्मचारी की विधवा जीवित है और अधिमान्य नियुक्ति के लिए पात्र है लेकिन नियुक्ति लेने में अनिच्छुक है तो वह उसके बेटों/अविवाहित बेटियों में से किसी एक के लिए अधिमान्य नियुक्ति मनोनीत करने के लिए अनुमति होगी। नामांकन यदि एक नाबालिग के मामले में है, तो इस सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी निगम आदेश क्रमांक RVPN/AAO /F&R/ F.10 (PPt-II) D. 96 Dated 22-8-2019 (F&R No. 1291) का अवश्य ध्यान रखें अर्थात् किसी नाबालिग आश्रित जिसकी आयु 16 वर्ष (कर्मचारी की मृत्यु के समय) से कम है उसका आवेदन स्वीकार नहीं करें। यदि यह स्थिति 16 वर्ष आयु से अधिक किंतु 18 वर्ष से कम की है तो कर्मचारी की मृत्यु के 90 दिवस के अंदर अनिवार्यतः आवेदन करावें और पुनः 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के 90 दिवस के अंदर आवेदन प्राप्त कर मय वांछित दस्तावेजों सहित प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित करें।

4) कर्मकार की कार्य के समय के दौरान कार्य करते समय कोई घातक दुर्घटना से निधन होने पर कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुसार आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त निगम के आदेश संख्या RVPN/AAO/F&R/F.42 (Pt.-II)/D. 207 Dated : 19.01.2016 (F&R No. 990) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत अनुग्रह राशि देय होगी। जिसकी

सूचना मृतक आश्रित को देवें और प्रकरण मय वांछित दस्तावेज तैयार कर मुख्यालय को प्रेषित करें।

5) उपार्जित अवकाश जो कि मृतक कर्मचारी के अवकाश खाते में मृत्यु की दिनांक तक संकलित होगी का नियमानुसार भुगतान देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 300 दिवस है।

6) मृतक कर्मचारी ने सामान्य भविष्य निधि योजना (GPF)/अंशदायी भविष्य निधि योजना (CPF) धारण कर रखी थी जिसकी जमा राशि निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर नियमानुसार देय है।

7) पेंशन एवं उपादान की राशि (Gratuity) नियमानुसार देय होगी।

8) यदि मृतक कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का सदस्य था तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर के कार्यालय से पेंशन देय होगी।

9) यदि कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना का सदस्य था तो उपादान (Gratuity) एवं डीएलआई का भुगतान भी देय है।

10) कर्मचारी की मृत्यु यदि दुर्घटना में होती है तो समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लाभ भी देय है।

11) कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना हित लाभ कर्मचारी बीमा निगम के कार्यालय द्वारा प्रदान की जायेगी, यदि कर्मचारी पर लागू है तो।

12) अधिसंख्य प्रकरणों में मृतक कर्मचारी के कार्यालय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के दौरान मृत्यु होने पर सेवाकाल की निरंतरता एवं अनुपस्थिति समय के नियमितिकरण में विलम्ब के कारण प्रकरण के निस्तारण में भी विलम्ब होता है, अतः नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उनके अधीन कार्यरत कोई भी कर्मचारी अनाधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित न रहे एवं दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अविलम्ब की जाए।

13) सभी नियंत्रक अधिकारी प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व अपने स्तर पर जांचे की आवेदक की आयु तथा अन्य विवरण शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य कार्यालय रिकार्ड के अनुसार सही है। आवेदक के अनपढ़ होने की स्थिति में उसकी आयु जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आई.डी, राशन कार्ड इत्यादि के अनुसार निर्धारित की जाए एवं यदि इन दस्तावेजों में दर्ज जन्म तिथि संदेहास्पद हो तो आवेदक का आयु निर्धारण हेतु मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

14) विभिन्न प्रकरणों में यह देखने में आया है कि मृतक के आश्रित द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदन न कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त आवेदन किया जाता है, जिससे की वह उच्च पद पर नियुक्ति प्राप्त कर सके। इस प्रकार के अनुचित प्रयासों की रोकथाम के उद्देश्य से यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकरण में कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उपर्युक्त बिंदु संख्या 3 पर दिये गये मार्गदर्शक नियमों की ही पालना अवश्य सुनिश्चित करें।

15) नियंत्रक अधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 11 में वर्णित किये गये पारिवारिक सदस्यों के नाम, आयु, शैक्षणिक योग्यता, आय के

स्त्रोत, मासिक आय व वैवाहिक स्थिति बाबत् स्वयं के स्तर पर गोपनीय जाँच अवश्य करवाये। साथ ही सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि "मेरे द्वारा मृतक कर्मचारी स्व. श्री------------ पद ---------- के आश्रित पुत्र श्री ------------ द्वारा दिये गये पारिवारिक सदस्यों के विवरण की गोपनीय जाँच कर ली गई है जिसमें आवेदक द्वारा किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है, ना ही मृतक कर्मचारी का कोई आश्रित किसी केन्द्र या राज्य सरकार, अथवा बोर्ड, संगठन, निगम, जो पूर्णतः/भागतः केन्द्र/राज्य के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन कर्मचारी की मृत्यु के समय अथवा वर्तमान में नियोजित नहीं है।" **यदि आवेदक मृतक कर्मचारी की विधवा / विधुर के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित है तो इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदक के पति / पत्नी को भी देना अनिवार्य होगा।**

16) समस्त नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा भरे गये जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. के नोमिनेशन की प्रति कर्मचारी की पत्रावली में संलग्न है। किसी कर्मचारी के नोमिनेशन की प्रति उपलब्ध नहीं हो तो समयानुसार भरवाकर कर्मचारी की पत्रावली में संलग्न करें।

17) यदि किसी कर्मचारी द्वारा दत्तक पुत्र/पुत्री का उल्लेख किया गया हो तो विधिक गोदनामा प्राप्त कर कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न करें।

18) प्रत्येक प्रकरण निर्धारित पत्र (प्रति संलग्न–Annexure-'B')के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाए:–

(i). पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र (भाग 1, 2 एवं 3) व फोटो नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रमाणित। (दो मूल प्रतियों में)

(ii). आवेदक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल व स्व–प्रमाणित प्रति।

(iii). मृतक का मृत्युप्रमाण पत्र।

(iv). मृतक की पत्नी/पति की पूर्व में मृत्यु होने पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र।

(v). मृतक की दुर्घटना में या अन्य प्रकार से अप्राकृतिक मृत्यु होने की दशा में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति।

(vi). मृतक कर्मचारी एवं आवेदक के परिवार राशन कार्ड एवं सी.पी.एफ./जी.पी.एफ. मनोनयन पत्र की प्रति।

(vii). मृतक कर्मचारी की मृत्यु दिनांक तक सेवा में होने तथा उसके आश्रितों के विवरण के बारे में कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र।

(viii). यदि मृतक कर्मचारी मृत्यु दिनांक से पूर्व अनाधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित था तो अनुपस्थिति अवधि के नियमन के आदेश की प्रति।

(ix). विवाहित होने की स्थिति में आवेदक का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं बच्चों के विवरण के बारे में शपथ पत्र।

(x). विधवा द्वारा पुनर्विवाह नहीं किए जाने सम्बन्धी शपथ पत्र। **परिशिष्ट 'स'**

(xi). मृतक की पुत्री द्वारा आवेदन करने पर अविवाहित होने बाबत शपथ पत्र। **परिशिष्ट 'ध'**

(xii). किसी आश्रित द्वारा केन्द्र या राज्य सरकार, अथवा बोर्ड, संगठन, निगम, जो पूर्णतः/भागतः केन्द्र/राज्य के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन कर्मचारी की मृत्यु के समय अथवा वर्तमान में नियोजित नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र। यदि आवेदक मृतक कर्मचारी की विधवा / विधुर के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित है तो इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदक के पति / पत्नी को भी देना अनिवार्य होगा। **परिशिष्ट 'अ' एवं परिशिष्ट 'द'**

(xiii). आवेदक द्वारा अन्य आश्रितों के भरण पोषण करने सम्बन्धी शपथ पत्र। **परिशिष्ट 'अ'**

(xiv). दत्तक पुत्र/पुत्री द्वारा आवेदन करने पर दत्तक गृहण विलेख की मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति।

(xv). मृतक की विधवा/विधुर उपलब्ध न होने पर समस्त आश्रितों द्वारा आवेदक को नियुक्ति दिए जाने सम्बन्धी अनापत्ति का शपथ पत्र। **परिशिष्ट 'ब'**.

(xvi). परिशिष्ट 'अ' से 'घ' तक (जो लागू हों) के प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ – पत्र।

नोट –

(1) उक्त दस्तावेजों में नियंत्रक अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि दस्तावेजों में वर्णित जन्म तिथि, नाम, माता पिता का नाम आदि विशिष्टियों में यदि कोई भिन्नता हो तो इसकी जांच स्वयं के स्तर पर करवाकर ही प्रकरण को मुख्यालय प्रेषित करें।

(2) पुलिस सत्यापन एवं चिकित्सीय परीक्षण नियुक्ति आदेश निर्गत करने से पूर्व इस कार्यालय द्वारा कराया / सूचित किया जायेगा।

उपरोक्त परिपत्र के साथ विभिन्न प्रेष्य पत्रों एवं शपथ पत्रों के प्रारूप की एक प्रति प्रेषित की जा रही है। भविष्य में समस्त प्रकरण उपरोक्त आवेदन पत्र व पृष्ठांकित अनुदेश के अनुसार ही प्रेषित करने का श्रम करें एवं उपरोक्त अनुदेशों की पालना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें जिसके अभाव में न केवल प्रकरण अस्वीकार्य होगा बल्कि दोषी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

संलग्नक – यथोक्त।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह शेखावत)
सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को पालनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित है:–

1) मुख्य /अति. अभियन्ता ( ), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., ...
2) मुख्य लेखा नियंत्रक, रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर।
3) संयुक्त विधि परामर्शी, रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर।
4) संयुक्त निदेशक कार्मिक, रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर।
5) मुख्य लेखाधिकारी ( ), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., ...
6) अधीक्षण अभियन्ता ( ), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., ... को इस परिपत्र की प्रति संलग्न कर लेख है, कि भविष्य में समस्त प्रकरणों को परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार वृत्त स्तर पर पूर्ण करने के पश्चात् ही मुख्यालय को प्रेषित करने का श्रम करें, अपूर्ण आवेदन पत्र व औपचारिकताएं शेष रहने पर प्रकरण स्वीकार्य नहीं होंगे एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
7) उपनिदेशक कार्मिक ( ), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., ...
8) उप सचिव ( ), रा.रा.वि.प्र.नि.लि.,........................
9) अधिशाषी अभियन्ता ( ), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., ...
10) लेखाधिकारी ( ), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., ...
11) कार्मिक अधिकारी ( ), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., ... को नवीनतम परिपत्र की प्रति संलग्न कर लेख है, कि भविष्य में समस्त प्रकरणों को परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार वृत्त स्तर पर पूर्ण करने के पश्चात् ही मुख्यालय को प्रेषित करने का श्रम करें, अपूर्ण आवेदन पत्र व औपचारिकताएं शेष रहने पर प्रकरण स्वीकार्य नहीं होंगे।
12) एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/उपनिदेशक (पी.आर.), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर।
13) सहायक सचिव ( ), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., जयपुर।
14) सहायक अभियन्ता ( )/नियंत्रक अधिकारी ( ), रा.रा.वि.प्र.नि.लि., ... को नवीनतम संशोधित आवेदन पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है, कि भविष्य में समस्त प्रकरणों को परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार वृत्त स्तर पर पूर्ण करने के पश्चात् ही मुख्यालय को प्रेषित करने का श्रम करें, अपूर्ण आवेदन पत्र व औपचारिकताएं शेष रहने पर प्रकरण स्वीकार्य नहीं होंगे एवं विलम्ब के लिए आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे जिसके लिए आपके विरुद्ध विभागीय नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
15) कार्यालय प्रति।

Amitabh Gupta 28/9/20

(अमिताभ गुप्ता)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

Annexure-'A'

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़

Corporate Identity Number (CIN): U40109RJ2000SGC016485

क्रमांक रा.वि.प्र.नि./ /प्रे.   दिनांक :

श्री/श्रीमती ....
पति/पत्नि स्व. श्री/श्रीमती ....
....
....

विषयः श्री/श्रीमती .... के निधन पर निगम की ओर से शोक संवेदना एवं स्वीकार्य/देय लाभ।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में सेवारत रहते हुए अपरिहार्य कारणों से/कार्य करने के दौरान घातक दुर्घटना में श्री/श्रीमती .... के दिनांक .... को हुये निधन पर निगम परिवार अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुये, आप व आपके परिवार को इस दुःखद त्रासदी को सहन करने व दिवंगत आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता है।

ऐसी दुःखद स्थिति में दिवंगत कर्मचारी के परिवार को तुरन्त आर्थिक सम्बल देते हुए आश्रित परिवार को निम्न स्वीकार्य/देय लाभ हैः—

1) आपके परिवार को तुरन्त आर्थिक सहायता के लिये रूपये 10,000/— (रूपये दस हजार मात्र) अनुग्रह राशि के रूप में प्रदान किये जावेंगे जिसके लिये आपको आवेदन करना होगा। यह आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है।
2) कर्मकार की कार्य समय के दौरान कार्य करते समय हुई घातक दुर्घटना से निधन होने पर कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुसार आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है। अतः दिवंगत कर्मकार की क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। कार्यवाही पूर्ण होते ही कर्मकार क्षतिपूर्ति की राशि कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त .... के कार्यालय में जमा करा दी जावेगी, जिसकी सूचना आपको भी दी जावेगी। कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त .... के कार्यालय से आप द्वारा दावा प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त निगम के आदेश संख्या RVPN/AAO/F&R/F.42 (Pt.-II)/D. 207 Dated :

19.01.2016 (F&R No. 990) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत अनुग्रह राशि रू. .... देय होगी।

3) निगम द्वारा अंगीकृत राजस्थान मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996, सहपठित RVPN Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Nigam Servants Regulations 2016 (F&R No. 1012), आदेशों के अनुसार आपको अथवा आपके द्वारा प्रस्तावित दिवंगत कर्मचारी के अन्य आश्रित को निर्धारित शर्तों/दशाओं के अध्याधीन अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। उक्त नियमों के अन्तर्गत कर्मचारी की विधवा अथवा विधुर, अविवाहित पुत्री, पुत्र एवं दत्तक पुत्र/दत्तक अविवाहित पुत्री ही आश्रित की श्रेणी में आते हैं। अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतुकर्मचारी के निधन के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के अन्दर विधिवत रूप से आवेदन करना आवश्यक है। अन्य आश्रित के आवेदन की स्थिति में उसकी उम्र 18 वर्ष होना आवश्यक है। अतः यदि आप स्वयं अथवा अन्य एक आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिलवाना चाहती है तो संबंधित कार्यालय में जहां मृतक कर्मचारी अन्तिम समय में कार्यरत थे, 90 दिवस की अवधि के अन्दर आवेदन करें। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्न है। यदि विधवा स्वयं कृपामूलक नियुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहती है तो वह अपने बेटे/अविवाहित बेटियों में से किसी एक के लिए अधिमान्य नियुक्ति हेतु मनोनीत कर सकती है। नामांकन यदि एक नाबालिग के मामले में है, तो इस सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी निगम आदेश क्रमांक RVPN/AAO /F&R/ F.10 (PPt-II) D. 96 Dated 22-8-2019 (F&R No. 1291) का अवश्य ध्यान रखें अर्थात् किसी नाबालिग आश्रित जिसकी आयु 16 वर्ष (कर्मचारी की मृत्यु के समय) से कम है उसका आवेदन स्वीकार नहीं करें। यदि यह स्थिति 16 वर्ष आयु से अधिक किंतु 18 वर्ष से कम की है तो कर्मचारी की मृत्यु के 90 दिवस के अंदर अनिवार्यतः आवेदन करावें और पुनः 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के 90 दिवस के अंदर आवेदन करना होगा।

4) मृतक कर्मचारी की मृत्यु दिनांक .... को उनके अवकाश खाते में ..... दिनों का उपार्जित अवकाश शेष था जिसके नगद भुगतान हेतु आप अवकाश प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।

5) मृतक कर्मचारी ने सामान्य भविष्य निधि योजना/अंशदायी भविष्य निधि योजना धारण कर रखी थी। अतः इसमें जमा राशि आपको देय है जिसके लिये निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में आवेदन करें व साथ में निम्न दस्तावेज संलग्न करें:–

   (i). कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण–पत्र
   (ii). आवेदक के तीन फोटो
   (iii). जन्म दिनांक/आयु का प्रमाण–पत्र
   (iv). पहचान का निशान

(v).परिवार के सदस्यों की सूची आदि।

6) मृतक कर्मचारी की मृत्यु पर पेंशन एवं उपदान (ग्रेच्युटी) भी देय है, यदि मृतक कर्मचारी ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) योजना धारण कर रखी थी। जिसके लिये आप निर्धारित प्रपत्र सेवा निवृति प्रपत्रों का कूलक को पूर्ण करवाकर प्रस्तुत करें जिसके लिये निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र/सूचनाएं भी प्रस्तुत करें:-
   (i). आवेदक की पासपोर्ट साइज की पांच फोटो
   (ii). परिवार के सदस्यों की पासपोर्ट साइज की प्रत्येक की 5-5 फोटो
   (iii). मृतक कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
   (iv). सेवानिवृत्ति के प्रपत्रों के कुलक (Pension Set) में संलग्न विभिन्न सूचनाओं की पूर्ति (यथा:- आवेदक एवं परिवार के सदस्यों की उम्र/जन्म दिनांक, वैवाहिक स्थिति तथा पहचान चिन्ह आदि।)

7) यदि मृतक कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना का सदस्य था तो उन्हें उपादान (ग्रेच्यूटी) एवं डी.एल.आई. का भुगतान भी देय है। अतः संलग्न प्रारूप में आवेदन करें।

8) आपके पति कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के सदस्य थे। अतः आपको क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर के कार्यालय से पेंशन देय होगी जिसके लिये संलग्न आवेदन पत्र भरकर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

9) आपके पति की मृत्यु दुर्घटना में होने के कारण समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लाभ भी देय है। अतः आप संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाओं के साथ आवेदन करें।

10) आपके दिवंगत पति पर कर्मचारी बीमा योजना लागू थी (यदि लागू हो तो), अतः दुर्घटना हित लाभ कर्मचारी बीमा निगम .... के कार्यालय द्वारा प्रदान किये जायेंगे, जिसके लिये उन्हें पत्र क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा सूचना भिजवा दी गई है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

'जो लागू हो उस पर टिक (√) करें।

नियंत्रक अधिकारी
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.

प्रतिलिपि : श्रीमान् सचिव (प्रशासन), राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., जयपुर।

नियंत्रक अधिकारी
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.

Annexure-'B'

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़

Corporate Identity Number (CIN): U40109RJ2000SGC016485

क्रमांक रा.वि.प्र.नि./ /प्रे. दिनांक :

सचिव (प्रशासन),
राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़,
जयपुर।

विषयः अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति हेतु श्री/श्रीमती .... का आवेदन पत्र।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निगम में सेवारत रहते हुए अपरिहार्य कारणों से/कार्य के दौरान घातक दुर्घटना में श्री .... पद .... कार्यालय .... का दिनांक .... को निधन हो गया था। अतः अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित अनुसार संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

(i). पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (भाग 1, 2 एवं 3) फोटो एवं हस्ताक्षर सहित।

(ii). आवेदक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल एवं स्व–प्रमाणित प्रति।

(iii). मृतक का मृत्युप्रमाण पत्र।

(iv). मृतक की पत्नी/पति की पूर्व में मृत्यु होने पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र।

(v). मृतक की दुर्घटना में या अन्य प्रकार से अप्राकृतिक मृत्यु होने की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति।

(vi). मृतक कर्मचारी एवं आवेदक के परिवार राशन कार्ड एवं सी.पी.एफ./जी.पी.एफ. मनोनयन पत्र की प्रति।

(vii). मृतक कर्मचारी की मृत्यु दिनांक तक सेवा में होने तथा उसके आश्रितों के विवरण के बारे में कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र।

(viii). यदि मृतक कर्मचारी मृत्यु दिनांक से पूर्व अनाधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित था तो अनुपस्थिति अवधि के नियमन के आदेश की प्रति।

(ix). विवाहित होने की स्थिति में आवेदक का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं बच्चों के विवरण के बारे में शपथ पत्र।

(x). विधवा द्वारा पुनर्विवाह नहीं किए जाने सम्बन्धी शपथ पत्र।

(xi). मृतक की पुत्री द्वारा आवेदन करने पर अविवाहित होने बाबत शपथ पत्र।

(xii). किसी आश्रित द्वारा केन्द्र या राज्य सरकार, अथवा बोर्ड, संगठन, निगम, जो पूर्णतः/भागतः केन्द्र/राज्य के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन कर्मचारी की मृत्यु के समय अथवा वर्तमान में नियोजित नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र।

(xiii). आवेदक द्वारा अन्य आश्रितों के भरण पोषण करने सम्बन्धी शपथ पत्र।

(xiv). दत्तक पुत्र/पुत्री द्वारा आवेदन करने पर दत्तक गृहण विलेख की प्रति।

(xv). मृतक की विधवा/विधुर उपलब्ध न होने पर समस्त आश्रितों द्वारा आवेदक को नियुक्ति दिए जाने सम्बन्धी अनापत्ति का शपथ पत्र।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

नियंत्रक अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Corporate Identity Number (CIN): U40109RJ2000SGC016485
पंजीकृत कार्यालयः विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर 302 005
टेलीफेक्स :+91-141-2740455, www. energy.rajasthan.gov.in

अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन–पत्र

भाग–1

आवेदक की नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत नवीनतम फोटो के लिये स्थान (पासपोर्ट साईज)

सचिव (प्रशासन),
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.,
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर–302005

पद जिसके लिये आवेदन किया है ....

1. (अ) आवेदक का नाम ....
   (ब) मृतक कर्मचारी का आवेदक से सम्बन्ध ....
   (स) दत्तक पुत्र/पुत्री होने की अवस्था में विधिक गोदनामा संलग्न करें। ....

2. (अ) मृतक कर्मचारी का नाम ....
   (ब) मृत्यु दिनांक ....
   (मृत्यु प्रमाण पत्र दो प्रतियों में संलग्न करें)
   (स) मृत्यु का कारण ....
   (दुर्घटना या अप्राकृतिक मृत्यु होने की ....
   अवस्था में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रति ....
   भी संलग्न करें।) ....

3. स्थाई पता ....
   (पिनकोड नं. सहित) ....
   ....
   ....
   टेलीफोन/मोबाईल नं...........................
   Email ID..

4. (अ) आवेदक की आयु व जन्म दिनांक ....
   (टी.सी. या जिला चिकित्साधिकारी/मेडिकल ज्युरिस्ट/मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी/नगर पालिका/परिषद/निगम या सैकेण्डरी का प्रमाण पत्र दो प्रतियों में संलग्न करें।)

5. शैक्षणिक योग्यता ....
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. वैवाहिक स्थिति ....
   (यदि विवाहित हो तो संतानों की संख्या एवं जन्म दिनांक अंकित करें एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/शपथ–पत्र संलग्न करें)

7. मंडल/निगम में मृतक की प्रथम नियुक्ति ....
का दिनांक (मृतक की व्यक्तिगत पत्रावली से सत्यापित किया जायेगा)

8. मृतक कर्मचारी की आयु व जन्म दिनांक ....
(मृतक की पत्रावली से सत्यापित किया जायेगा)

9. (अ) मृतक का पद जिस पर वह कार्यरत था ....
(ब) मृतक के अन्तिम पदस्थापन का स्थान ....
एवं वृत्त का नाम ....
(स) वेतन श्रृंखला ....
(द) भविष्य निधि/जी.पी.एफ. खाता संख्या ....

10. (अ) क्या भविष्य निधि/ग्रेच्यूटी/जी.पी.एफ. का ....
का भुगतान हो गया है? पूर्ण विवरण दें। ....
(ब) क्या आवेदक पेन्शनर है? ....
(स) वारिस का नाम/नॉमिनी का नाम ....
(जो कि जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. नामांकन मे हो तथा मृतक की व्यक्तिगत पत्रावली से सत्यापित किया जायेगा)

11. मृत कर्मचारी के परिवार के प्रत्येक विवाहित/अविवाहित सदस्यों का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	नाम	मृतक से सम्बन्ध	आयु	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	वैवाहिक स्थिति	व्यवसाय (सरकारी/अर्द्ध सरकारी/प्राईवेट/अन्य)	मासिक आय (रूपयों में)

12. क्या प्रार्थीः-
(अ) अनुसूचित जाति/जनजाति/बीसी/एमबीसी का सदस्य है..
(जो लागू हो उसका स्पष्ट उल्लेख करें इस आशय का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, दो प्रतियों–मूल एवं छायाप्रति में संलग्न करें)
(ब) क्या प्रार्थी शारीरिक रूप से विकलांग है ? हाँ / नहीं
(शारीरिक विकलांगता का प्राधिकृत प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें।)
(स) क्या प्रार्थी टी.एस.पी. एरिया से सम्बन्धित है ? हाँ / नहीं
(Note- TSP Area के लिये विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

13. प्राथमिकता के आधार पर तीन जिलों के नाम जहाँ प्रार्थी नियुक्ति चाहता है। (निगम के विवेकानुसार प्रार्थी को कहीं भी नियुक्ति दी जा सकती है)
1. ....
2. ....
3. ....

14. आवेदन पत्र विलम्ब से प्रेषित करने का विस्तृत कारण निम्न है:–

____

____

____

15. क्या आवेदक ने पुनर्विवाह किया है? ....
(यह तथ्य कर्मचारी की विधवा के लिये लागू होगा)

16. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सही है तथा मैंने किसी भी प्रकार की सत्यता को छुपाया नहीं है एवं मेरे अलावा परिवार के किसी सदस्य ने अधिमानता के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र नहीं भरा है एवं अब तक परिवार के किसी सदस्य ने इस आधार पर किसी के लिये राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ में नियुक्ति प्राप्त नहीं की है। मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सही है, यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य पाया जावें तो मेरी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।

दिनांक एवं स्थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम)

साक्ष्य–

भाग–2

यदि आवेदक विधवा स्वयं नहीं है तो विधवा/अन्य आश्रितों की सहमति

मैंने आवेदन के भाग–1 में उल्लिखित सूचना पढ़ ली है। भली प्रकार सुन ली है। आवेदक को नौकरी दिये जाने हेतु मेरी/अन्य आश्रितों की सहमति है। जिसके समर्थन में मेरा/अन्य आश्रितों का शपथ पत्र संलग्न है।

दिनांक एवं स्थान :

साक्ष्य .... **मृतक की पत्नी के हस्ताक्षर**

....

भाग–3

कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:–

1. दिवंगत कर्मचारी का कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही नाम .... पुत्र श्री .... है एवं इनका निधन निगम सेवा में ....पद पर रहते हुए हुआ है।
2. दिवंगत कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय में अन्तिम दिनांक .... तक उपस्थित रहा जिसकी मृत्यु .... को हुई।
3. दिवंगत कर्मचारी के किसी भी आश्रित का इससे पूर्व प्रकरण उच्चाधिकारियों को अग्रेषित नहीं किया गया है।

4. मूल प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में .... राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़, ... को प्रेषित कर लेख है कि मैनें अधिमानता आधार पर नियुक्ति प्रकरण में आवेदक के परिवार की पृष्ठभूमि व भाग–1 के कालम संख्या 11 में वर्णित पारिवारिक सदस्यों के विवरण एवं कालम संख्या 14 में वर्णित आवेदन पत्र देरी से भेजने बाबत् इस केस में सम्पूर्ण जाँच कर ली है तथा मृतक कर्मचारी के परिवार का कोई भी आश्रित किसी केन्द्र या राज्य सरकार, अथवा बोर्ड, संगठन, निगम, जो पूर्णतः/भागतः केन्द्र/राज्य के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो के अधीन कर्मचारी की मृत्यु के समय अथवा वर्तमान में नियोजित नहीं हैं।

5. आवेदन पत्र विभाग में दिनांक .... को प्राप्त हुआ है जो कि डायरी संख्या .... दिनांक .... पर दर्ज है।

6. आवेदन पत्र में अंकित सूचनाएं मृतक कर्मचारी की सेवा अभिलेख के अनुसार सही है। नियमों के अनुसार आवेदक आवेदित पद .... पर नियुक्ति का पात्र है।

दिनांक एवं स्थान :

नियंत्रक अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर एवं सील

देय शपथ – पत्रों के प्रारूप (जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा नोटराइज्ड हों)

परिशिष्ट "अ"

शपथ – पत्र

(आवेदक/आवेदिका द्वारा देय)

मैं..(पत्नी/पुत्र/अविवाहितपुत्री)स्व.श्री.. आयु....................वर्ष...............जाति...........................निवासी..................................का/की रहने वाला/वाली हूँ एवं सशपथ निम्न प्रकार से बयान करता/करती हूँ कि : –

1. यह कि मेरे पति / पिता / माता स्व. श्री / श्रीमती ....जो कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. (पूर्ववती राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल) में ....पद पर (पद का नाम) ....(कार्यालय का नाम) में कार्यरत थे एवं सेवा में रहते हुये उनकी मृत्यु दिनांक.......................................को हो गयी है।
2. यह कि मैं केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग / मंत्रालय अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड / संगठन / निगम तो कि पूर्णतः / अंशतः केन्द्र / राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं हूँ।
3. यह कि मैं वर्तमान में ....कार्य कर रहा/ रही हूँ। (कार्य अथवा निजी व्यवसाय का उल्लेख करें) और मेरी मासिक आय रूपये...प्रति माह है।
4. यह कि मुझे अनुकम्पात्मक आधार पर यदि नियुक्ति दी जाती है तो मैं मृतक के अन्य आश्रितों की उचित ढंग से देखभाल एवं भरण पोषण करूँगा / करूँगी, यदि नियुक्ति के बाद किसी भी समय मैं अन्य आश्रितों की उचित ढंग से देखभाल व भरणपोषण नहीं कर रहा हूं तथा उनकी उपेक्षा कर रहा हूँ , तो ऐसी दशा में नियुक्ति अधिकारी को मेरा/मेरी नियुक्ति निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर शपथकर्ता / गृहीता

सत्यापन

मैं..पुत्र...निवासी.. सशपथ बयान करता/करती हूँ कि उपर्युक्त शपथ–पत्र में पैरा 1 से लगायत 4 तथ्य मेरी जानकारी में सत्य व सही हैं बाध्यकारी है। मैनें ये अभिकथन पूर्ण होशोहवाश और पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से बयान किये हैं। ईश्वर मेरी मदद करे।

हस्ताक्षर शपथकर्ता / गृहीता

साक्ष्य / गवाह –

1. हस्ताक्षर,
   नाम व पता
2. हस्ताक्षर,
   नाम व पता

परिशिष्ट "ब"

शपथ – पत्र
(अन्य वयस्क मृतक आश्रितों द्वारा देय)

मैं...(पुत्र / अविवाहितपुत्री)स्व.श्री...आयु. ....वर्ष ....जाति.............................निवासी...का / की रहने वाला / वाली हूँ एवं सशपथ निम्न प्रकार से बयान करता / करती हूँ कि : –

1. यह कि मेरे पिता / माता स्व. श्री / श्रीमती ....जो कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. (पूर्ववती राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल) में .... पद पर (पद का नाम) ....(कार्यालय का नाम) में कार्यरत थे एवं सेवा में रहते हुये उनकी मृत्यु दिनांक...को हो गयी है।
2. यह कि मैं केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग / मंत्रालय अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड / संगठन / निगम तो कि पूर्णतः / अंशतः केन्द्र / राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं हूँ।
3. यह कि मैं वर्तमान में ....कार्य कर रहा / रही हूँ। (कार्य अथवा निजी व्यवसाय का उल्लेख करें) और मेरी मासिक आय रूपये...प्रति माह है।
4. यह कि मेरे पिता / माता के स्थान पर ....(भाई / बहन) श्री / कुमारी...(का नाम जो आवेदन कर रहा है) को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति दी जाती है तो मुझे इस बाबत् कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता / गृहीता

सत्यापन

मैं..पुत्र / पुत्री...निवासी................................ ....सशपथ बयान करता / करती हूँ कि उपर्युक्त शपथ–पत्र में पैरा 1 से लगायत 4 तथ्य मेरी जानकारी में सत्य व सही हैं बाध्यकारी है। मैनें ये अभिकथन पूर्ण होशोहवाश और पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से बयान किये हैं। ईश्वर मेरी मदद करे।

हस्ताक्षर शपथकर्ता / गृहीता

साक्ष्य / गवाह –

1. हस्ताक्षर,
   नाम व पता

2. हस्ताक्षर,
   नाम व पता

परिशिष्ट "स"

शपथ – पत्र
(मृतक कर्मचारी की विधवा द्वारा देय)

मैं..(पत्नी) स्व. श्री...आयु....................वर्ष ....जाति............................निवासी.. की रहने वाली हूँ एवं सशपथ निम्न प्रकार से बयान करती हूँ कि : –

1. यह कि मेरे पति स्व. श्री ....जो कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. (पूर्ववती राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल) में ....पद पर (पद का नाम) ....(कार्यालय का नाम) में कार्यरत थे एवं सेवा में रहते हुये उनकी मृत्यु दिनांक..को हो गयी है।
2. यह कि मेरे पति की मृत्यु के पश्चात मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है।
3. यह कि मैं स्वयं नियोजित नहीं हूँ।
   अथवा
   यह कि मेरे स्व. पति का कोई भी पुत्र अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र /अविवाहित दत्तक पुत्री केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग / मंत्रालय अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड / संगठन / निगम तो कि पूर्णतः / अंशतः केन्द्र / राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन नियमित आधार पर मेरे पति की मृत्यु के समय पहले से ही नियोजित नही है।
4. यह कि मैं मेरे पति स्व. श्री ....के स्थान पर ....(पुत्र/पुत्री) श्री/ कुमारी...(का नाम जो आवेदन कर रहा है) को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति दिलाना चाहती हूँ।
5. यह कि मेरे पति स्व. श्री ....की विवाहित / अविवाहित संतानों व आश्रितों (पत्नी/पति व माता/ पिता) का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.स.	नाम	मृतक कर्मचारी से संबध	जन्म दिनांक एवं आयु	शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय	मासिक आय

6. यह कि मेरे पति के स्थान पर किसी भी आश्रित को अभी तक अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति नहीं दी गई है।
7. यह कि समस्त स्रोतों से (पेंशन भी सम्मिलित है) मेरी मासिक आय ....रू. प्रतिमाह है।

हस्ताक्षर शपथगृहीता

सत्यापन

मैं...................................पत्नीस्व.श्री..............................निवासी..सशपथ बयान करती हूँ कि उपर्युक्त शपथ–पत्र में पैरा 1 से लगायत 7 तक तथ्य मेरी जानकारी में सत्य व सही हैं बाध्यकारी है। मैंने ये अभिकथन पूर्ण होशोहवाश और पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से बयान किये हैं। ईश्वर मेरी मदद करे।

हस्ताक्षर शपथगृहीता

साक्ष्य / गवाह –
1. हस्ताक्षर, नाम व पता

2. हस्ताक्षर, नाम व पता

परिशिष्ट "द"

शपथ – पत्र

(मृतक कर्मचारी आश्रित विवाहित पुत्र जो कि आवेदक है, की पत्नी द्वारा देय)

मैं...(पत्नी)श्री...आयु....................वर्ष.............जाति....... ....निवासी.. की रहने वाली हूँ एवं सशपथ निम्न प्रकार से बयान करती हूँ कि : –

1. यह कि मेरे पति श्री ....जो कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. (पूर्ववती राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल) में अपने स्व. पिता / माता जो पर (पद का नाम) ....(कार्यालय का नाम) में कार्यरत थे एवं सेवा में रहते हुये जिनकी मृत्यु दिनांक...को हो गयी है, के स्थान पर अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति के लिये आवेदन किया है।
2. यह कि मैं मेरे पति पर पूर्णतः आश्रित हूँ और मैं स्वयं नियोजित नहीं हूँ।
   अथवा
   यह कि मैं केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग / मंत्रालय अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड / संगठन / निगम तो कि पूर्णतः / अंशतः केन्द्र / राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन नियमित आधार पर मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय, पहले से ही नियोजित नही हूँ।
3. यह कि यदि भविष्य में मेरा अभिकथन असत्य पाया जावे तो ऐसी दशा में नियुक्ति अधिकारी को मेरे पति की नियुक्ति निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर शपथकगृहीता

सत्यापन

मैं...पत्नीश्री...निवासी.. ....सशपथ बयान करती हूँ कि उपर्युक्त शपथ–पत्र में पैरा 1 से लगायत 3 तक तथ्य मेरी जानकारी में सत्य व सही हैं। मैनें ये अभिकथन पूर्ण होशोहवाश और पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से बयान किये हैं। ईश्वर मेरी मदद करे।

हस्ताक्षर शपथगृहीता

साक्ष्य / गवाह –

1. हस्ताक्षर,
   नाम व पता
2. हस्ताक्षर,
   नाम व पता

परिशिष्ट "ध"

शपथ – पत्र

(मृतक कर्मचारी आश्रित अविवाहित वयस्क पुत्री जो कि आवेदक है, द्वारा देय)

मैं...(पुत्री)स्व.श्री..आयु.....................वर्ष.............जाति... ....निवासी.. की रहने वाली हूँ एवं सशपथ निम्न प्रकार से बयान करती हूँ कि : –

1. यह कि मेरे पिता स्व.श्री ....जो कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. (पूर्ववती राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल) में .... पर (पद का नाम) ....(कार्यालय का नाम) में कार्यरत थे एवं सेवा में रहते हुये जिनकी मृत्यु दिनांक..को हो गयी है, के स्थान पर मैंने अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति के लिये आवेदन किया है।
2. यह कि मैं अभी तक अविवहित हूँ।
   अथवा
   यह कि मैं केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग / मंत्रालय अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड / संगठन / निगम तो कि पूर्णतः / अंशतः केन्द्र / राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन नियमित आधार पर मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय, पहले से ही नियोजित नही हूँ।
3. यह कि यदि भविष्य में मेरा अभिकथन असत्य पाया जावे तो ऐसी दशा में नियुक्ति अधिकारी को मेरे पति की नियुक्ति निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर शपथकगृहीता

सत्यापन

मैं..पत्नीश्री...निवासी.. ....सशपथ बयान करती हूँ कि उपर्युक्त शपथ–पत्र में पैरा 1 से लगायत 3 तक तथ्य मेरी जानकारी में सत्य व सही हैं। मैनें ये अभिकथन पूर्ण होशोहवाश और पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से बयान किये हैं। ईश्वर मेरी मदद करे।

हस्ताक्षर शपथगृहीता

साक्ष्य / गवाह –

1. हस्ताक्षर,
   नाम व पता
2. हस्ताक्षर,
   नाम व पता